दिनांक 28.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 402/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी (वर्तमान में मृत) एवं उसके गैंग (आई0एस0-191) के परिजनों, गैंग सदस्यों तथा सहयोगियों को निर्गत शस्त्र लाइसेंसों एवं शस्त्रों के भौतिक सत्यापन में सामने आयी गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में जनपद गाजीपुर में पांच अभियोग पंजीकृत।</u>

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 एस0टी0एफ द्वारा संकलित सूचनाओं के आधार पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी को कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी (वर्तमान में मृत) एवं उसके गैंग (आई0एस0-191) के परिजनों, गैंग सदस्यों तथा सहयोगियों को पूर्व में निर्गत शस्त्र लाइसेंसों तथा उनके सापेक्ष क्रय-विक्रय किए गए शस्त्रों के भौतिक सत्यापन की व्यापक कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में यह कार्यवाही पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2026 को पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को तीन भागों में निर्गत निर्देशों के क्रम में सम्पन्न करायी गयी:

भाग-01: कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी (वर्तमान में मृत) एवं उसके परिजनों (कुल 05 व्यक्ति) को निर्गत शस्त्रों की वर्तमान स्थिति।

भाग-02: गैंग (आई0एस0-191) के 11 सदस्यों/सहयोगियों को निर्गत शस्त्रों की वर्तमान स्थिति।

भाग-03: शस्त्र लिपिक एवं प्रभारी अधिकारी शस्त्र, गाजीपुर द्वारा बिना तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की स्वीकृति के पूर्व में 27 व्यक्तियों को फर्जी ढंग से जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों एवं उनके सापेक्ष निर्गत शस्त्रों की वर्तमान स्थिति।

इस प्रकार उक्त तीनों चरणों में कुल 43 व्यक्तियों (मुख्तार अंसारी परिवार के 05, गैंग के 11 सदस्यों/सहयोगियों तथा फर्जी लाइसेंसधारक 27 व्यक्तियों) के शस्त्र लाइसेंसों तथा उन पर समय-समय पर क्रय-विक्रय किए गए लगभग 80 से अधिक शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया।

सत्यापन के दौरान अनेक प्रकरणों में यह गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि सम्बन्धित शस्त्र लाइसेंसों की मूल पत्रावली तथा शस्त्रों के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित अभिलेख जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, गाजीपुर से गायब पाये गये। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि लाइसेंस धारकों द्वारा तत्कालीन शस्त्र लिपिकों/प्रभारी अधिकारियों शस्त्र के साथ मिलीभगत एवं आपराधिक षड्यंत्र कर सम्बन्धित अभिलेख गायब कराये गये ताकि शस्त्रों की वास्तविक स्थिति एवं दुरुपयोग को छिपाया जा सके तथा गैंग द्वारा उनका प्रयोग अपराध कारित करने में स्वच्छन्दतापूर्वक किया जा सके। एक प्रकरण में यह भी पाया गया कि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपना वास्तविक पता छिपाकर फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया गया था।

उपरोक्त जांच के फलस्वरूप थाना कोतवाली एवं थाना मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर में निम्नलिखित कुल 05 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं:

क्र0सं0	**थाना / मु0अ0सं0 / दिनांक**	**पंजीकृत धाराएं**	**नामित अभियुक्तगण एवं आरोप का संक्षिप्त विवरण**
1	थाना कोतवाली, गाजीपुर मु0अ0सं0 535/2026 दिनांक 22.07.2026	धारा 409, 419, 120-बी भा0द0सं0 धारा 21, 25, 30 आयुध अधिनियम, 1959	अभियुक्तगण: (1) अफजाल अंसारी, मा0 सांसद गाजीपुर पुत्र स्व0 सुबहानुल्लाह अंसारी (2) असफाक अहमद, सेवानिवृत्त, तत्कालीन शस्त्र लिपिक प्रथम (3) गौरीशंकर राम, तत्कालीन शस्त्र लिपिक द्वितीय। आरोप: अफजाल अंसारी, मा0 सांसद गाजीपुर को निर्गत शस्त्र लाइसेंस सं0 1188/पी-II पर क्रय रायफल सं0 830405 की मूल पत्रावली एवं क्रय-विक्रय अभिलेख जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय गाजीपुर से गायब कराकर आपराधिक न्यास भंग करने तथा रायफल का भौतिक सत्यापन असंभव बनाने का आरोप। लाइसेंसधारक द्वारा नोटिस पर भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।
2	थाना कोतवाली, गाजीपुर मु0अ0सं0 540/2026 दिनांक 23.07.2026	धारा 409, 419, 120-बी भा0द0सं0 धारा 21, 25, 30 आयुध अधिनियम, 1959	अभियुक्तगण: (1) अफसा बेगम, पत्नी मृत माफिया मुख्तार अंसारी पुत्री जमशेद रजा (2) बृजनारायण राम, सेवानिवृत्त/मृतक, तत्कालीन शस्त्र लिपिक/पटल सहायक प्रथम (3) भीष्म सिंह यादव, तत्कालीन पटल सहायक द्वितीय। आरोप: अफसा बेगम को निर्गत शस्त्र लाइसेंस सं0 1054/पी-II पर क्रय रिवाल्वर सं0 एबीएम-4299 एवं तत्पश्चात क्रय रिवाल्वर सं0 682782 के क्रय-विक्रय से संबंधित पत्रावली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से गायब कराने का आरोप। लाइसेंसधारक वर्तमान में फरार है।
3	थाना कोतवाली, गाजीपुर मु0अ0सं0 551/2026 दिनांक 27.07.2026	धारा 409, 419, 120-बी भा0द0सं0 धारा 21, 25, 30 आयुध अधिनियम, 1959	अभियुक्तगण: (1) अफजाल अंसारी, मा0 सांसद गाजीपुर (2) प्रेमशंकर वर्मा, सेवानिवृत्त/मृतक, तत्कालीन शस्त्र लिपिक। आरोप: अफजाल अंसारी को निर्गत शस्त्र लाइसेंस सं0 1241/पी-II पर क्रय रायफल सं0 86 एबी 1926 को टकन रिबार ब्रदर्स, अलांग, अरुणाचल प्रदेश को विक्रय कर क्रय रिवाल्वर सं0 ए-12741 का आगे कोई विक्रय अभिलेख उपलब्ध न होना; लाइसेंस की मूल पत्रावली एवं क्रय-विक्रय अभिलेख गायब कराने का आरोप।

क्र0सं0	थाना / मु0अ0सं0 / दिनांक	पंजीकृत धाराएं	नामित अभियुक्तगण एवं आरोप का संक्षिप्त विवरण
4	थाना कोतवाली, गाजीपुर मु0अ0सं0 554/2026 दिनांक 28.07.2026	धारा 409, 419, 120-बी भा0द0सं0 धारा 21, 25, 30 आयुध अधिनियम, 1959	अभियुक्तगण: (1) अफजाल अंसारी, मा0 सांसद गाजीपुर (2) गौरीशंकर लाल, शस्त्र लिपिक प्रथम (3) सुग्रीव तिवारी, सेवानिवृत्त/मृतक, शस्त्र लिपिक द्वितीय। आरोप: अफजाल अंसारी के ही शस्त्र लाइसेंस सं0 1188/पी-II पर क्रय रायफल सं0 44657 के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख तथा लाइसेंस की मूल पत्रावली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से गायब कराने का आरोप जिससे रायफल का भौतिक सत्यापन संभव नहीं हो सका।
5	थाना मुहम्मदाबाद, गाजीपुर मु0अ0सं0 230/2026 दिनांक 24.07.2026	धारा 417, 420, 120-बी भा0द0सं0 धारा 30 आयुध अधिनियम, 1959	अभियुक्तगण: (1) मो0 शाहिद पुत्र कुर्बान अली, आई0एस0-191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी का सहयोगी (2) तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना मुहम्मदाबाद (3) तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल, मुहम्मदाबाद। आरोप: मो0 शाहिद द्वारा अपना वास्तविक पता (वार्ड सं0 04, अब्दुल हमीद नगर, सैदपुर) छिपाकर फर्जी पते (पुरानी कचहरी, थाना मुहम्मदाबाद) पर शस्त्र लाइसेंस सं0 1383/पी-II दिनांक 28.04.2001 प्राप्त करना, तत्कालीन थाना प्रभारी मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बिना समुचित सत्यापन के फर्जी पते की पुष्टि कर संस्तुति आख्या प्रेषित करने का आरोप।

उपरोक्त पांचों प्रकरणों की विवेचना हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गाजीपुर के नेतृत्व में विशेष विवेचना दल (एस0आई0टी0) गठित कर विवेचनाओं के निस्तारण हेतु पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को निर्देशित किया गया है। विवेचना में समस्त सम्बन्धित तत्कालीन/वर्तमान शस्त्र लिपिकों, प्रभारी अधिकारियों शस्त्र तथा अन्य उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों की भूमिका की गहनता से जांच की जायेगी तथा दोषी पाये जाने वाले समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि आई0एस0 गैंग-191 के सरगना कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी (वर्तमान में मृत) एवं उसके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों के विरुद्ध जनपद गाजीपुर तथा अन्य जनपदों में हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य गम्भीर धाराओं में अनेक अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत हैं। गैंग के सदस्यों/सहयोगियों एवं परिजनों को स्वीकृत शस्त्र लाइसेंसों पर एक ही लाइसेंस पर बार-बार शस्त्रों का क्रय-विक्रय कर उनकी वास्तविक स्थिति को छिपाने तथा जनपद गाजीपुर प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किए जाने के तथ्य भी सत्यापन के दौरान प्रकाश में आये हैं।

मुख्तार अंसारी गैंग एवं उसके परिजनों/सहयोगियों को निर्गत शेष शस्त्र लाइसेंसों तथा शस्त्रों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही सतत रूप से जारी है। जांच के दौरान इस सम्बन्ध में यदि कोई अन्य तथ्य/अनियमितता प्रकाश में आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

दिनांक 28.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 403/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संगठित अपराध के विरुद्ध प्रयागराज पुलिस की बड़ी कार्यवाही

- **प्रयागराज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, माफिया अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर प्रहार ₹110 करोड़ की संपत्ति कुर्क।**
- **माफिया के आर्थिक नेटवर्क पर करारा प्रहार, गैंगस्टर एक्ट के तहत 20.38 बीघा अवैध अर्जित अचल संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई।**
- **अपराध से अर्जित संपत्तियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, 51,126.68 वर्गमीटर भूमि न्यायालय के आदेश पर कुर्क।**

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के निर्देशों के क्रम में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा संगठित अपराधियों एवं माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में कुख्यात माफिया व गैंग लीडर अतीक अहमद (मृतक) पुत्र स्व0 हाजी फिरोज अहमद निवासी 95-सी, चकिया थाना खुल्दाबाद कमिश्नरेट प्रयागराज व 52 कसारी मसारी थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से क्रय मौजा भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर परगना व तहसील सदर प्रयागराज स्थित कुल 30 आराजियात रकबा 3.7383 हे0 यानी 37383 वर्गमीटर एवं मौजा कटहुला गौसपुर परगना व तहसील सदर प्रयागराज स्थित अचल सम्पत्तियों कुल 14 आराजियात रकबा 1.374368 हे0 यानी 13743.68 वर्गमीटर, कुल रकबा 5.112668 हे0 यानी 51126.68 वर्ग मीटर (लगभग 20.38 बीघा), बाजारू कीमत लगभग ₹1,10,00,00,000/-(एक अरब दस करोड़ रुपये) को धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा कुर्क किया गया।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज के निर्देशन में कमिश्नरेट प्रयागराज में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन्स के नेतृत्व में थाना धूमनगंज पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 200/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के विवेचक प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गैंगलीडर अतीक अहमद (मृतक) द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व तक अपने भय व दबंगई के बल पर लोगों को डरा धमकाकर अपराध जगत से अर्जित धन से 1. मौजा भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर परगना व तहसील सदर प्रयागराज 2.मौजा कटहुला गौसपुर परगना व तहसील सदर प्रयागराज 3. मौजा शाहा उर्फ पीपलगाँव परगना व तहसील सदर प्रयागराज 4. मौजा मन्दरी परगना व तहसील सदर प्रयागराज स्थित आराजियात कुल रकबा 12.9544 हेक्टेयर को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कुर्क किये जाने हेतु पुलिस आयुक्त न्यायालय कमिश्नरेट प्रयागराज के समक्ष आख्या प्रस्तुत की गयी।

पुलिस आयुक्त न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभिलेखों एवं साक्ष्यों से अभियोजन पक्ष न्यायालय को पूर्णतया यह समाधान कराने में सफल रहा कि अभियुक्त गैंगलीडर अतीक अहमद (मृतक) द्वारा अपने भय व दबंगई के बल पर लोगों को डरा धमकाकर अपराध जगत से अर्जित धन से 1. मौजा भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर परगना व तहसील सदर प्रयागराज 2.मौजा कटहुला गौसपुर परगना व तहसील सदर प्रयागराज 3. मौजा शाहा उर्फ पीपलगाँव परगना व तहसील सदर प्रयागराज 4. मौजा मन्दरी परगना व तहसील सदर प्रयागराज स्थित आराजियात कुल रकबा 12.9544 हेक्टेयर को, जिसकी सरकारी मालियत ₹9,96,84,795/-(नौ करोड़ छियानबे लाख चौरासी हजार सात सौ पन्चानबे रुपये) के सापेक्ष प्रतिफल के रुप में मात्र ₹1,36,50,000/-(एक करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार रुपये) देकर उनकी कीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम पर एक अनुसूचित समाज के व्यक्ति मदन लाल भारतीया के नाम से अपना पैसा लगाकर बेनामी संव्यवहार के रुप में रजिस्ट्री करायी गयी हैं। यह सम्पत्तियां गैंगलीडर अभियुक्त अतीक अहमद (मृतक) की ही बेनामी सम्पत्तियां हैं। **उक्त जमीनों की बाजारु कीमत लगभग 2.5 अरब रुपये है।**

इसी दौरान उप जिलाधिकारी सदर प्रयागराज द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 (2) में उल्लिखित प्रावधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत मदन लाल भारतीया के नाम से अर्जित 6.5003 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार के बंजर खाते में निहित कर दिया गया है। अतएव अभियुक्त गैंगलीडर अतीक अहमद (मृतक) द्वारा मदन लाल भारतीया पुत्र मोहन लाल भारतीया निवासी 217 कसारी मसारी परगना व तहसील सदर जनपद प्रयागराज के नाम से मौजा भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर परगना व तहसील सदर प्रयागराज स्थित कुल 30 आराजी रकबा 3.7383 हे0 यानी 37383 वर्गमीटर, एवं मौजा कटहुला गौसपुर परगना व तहसील सदर प्रयागराज स्थित अचल सम्पत्तियों कुल 14 आराजी कुल रकबा 1.374368 हे0 यानी 13743.68 वर्गमीटर अर्थात दोनों मौजों में कुल 44 आराजी रकबा 5.112668 हे0 अर्थात लगभग 20.38 बीघा सरकारी मालियत ₹47,00,35,760/-(सैंतालीस करोड़ पैंतीस हजार सात सौ साठ रुपये) एवं बाजारु कीमत लगभग ₹1,10,00,00,000/-(एक अरब दस करोड़ रुपये), को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मा0 पुलिस आयुक्त न्यायालय कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया।

कुर्क प्रश्नगत सम्पत्तियों का प्रशासक थाना प्रभारी एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज को नियुक्त किया गया, जिससे की कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा निम्न आराजियात पर कब्जा या अतिक्रमण न किया जा सके। जिलाधिकारी प्रयागराज के माध्यम से उप जिलाधिकारी सदर प्रयागराज को राजस्व अभिलेखों में कुर्की आदेश अमल दरामद किये जाने एवं उपनिबंधक सदर प्रथम एवं द्वितीय प्रयागराज को निम्न आराजियात के क्रय विक्रय पर रोक लगाये जाने हेतु पत्राचार किया गया है।

अग्रेतर जांच के क्रम में गिरोहबन्द अभियुक्त गैंगलीडर अतीक अहमद (मृतक) के इस प्रकार के अवैध गतिविधियों में सहयोग प्रदान करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

कमिश्नरेट प्रयागराज में संगठित अपराधियों पर नकेल कसने के लिये टीम गठित कर गैंग लीडर अभियुक्त अतीक अहमद (मृतक) तथा उसके साथी सदस्यों द्वारा अपराध जगत से अर्जित की गई अन्य सम्पत्तियों/भवन/भूमि की जाँच की कार्यवाही प्रचलित है, ज्ञात होने पर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

कुर्क की गयी अचल सम्पत्तियों का विवरण-

1. मौजा भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर परगना व तहसील सदर प्रयागराज स्थित कुल 30 आराजियात रकबा 3.7383 हे0 यानी 37383 वर्गमीटर

2. मौजा कटहुला गौसपुर परगना व तहसील सदर प्रयागराज स्थित अचल सम्पत्तियों कुल 14 आराजियात रकबा 1.374368 हे0 यानी 13743.68 वर्गमीटर,

कुल रकबा 5.112668 हे0 अर्थात् लगभग 20.38 बीघा

आपराधिक इतिहासः-

अतीक अहमद (मृतक) पुत्र स्व0 हाजी फिरोज अहमद निवासी 95-सी, चकिया थाना खुल्दाबाद कमिश्नरेट प्रयागराज व 52 कसारी मसारी थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज

क्र .सं.	मु.सं.अ.	धारा	थाना	जनपद
1	मु0अ0सं0-431/79	धारा 302 भादवि	खुल्दाबाद	प्रयागराज
2	मु0अ0सं0-89/84	धारा 302, 307 भादवि	खुल्दाबाद	प्रयागराज
3	मु0अ0सं0-453/84	धारा 452, 323, 504, 506 भादवि	खुल्दाबाद	प्रयागराज
4	मु0अ0सं0-525/85	धारा 25 आर्म्स एक्ट	खुल्दाबाद	प्रयागराज
5	मु0अ0सं0-533/85	धारा 3(4) गुण्डा एक्ट	खुल्दाबाद	प्रयागराज

6	मु0अ0सं0-162/86	धारा147,148,149,307,342,323,506,120बी भादवि	खुल्दाबाद	प्रयागराज
7	मु0अ0सं0-197/86	धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट	खुल्दाबाद	प्रयागराज
8	मु0अ0सं0-313/86	धारा 143/153ए भादवि	खुल्दाबाद	प्रयागराज
9	मु0अ0सं0-199/90	धारा 147,148,379,332,427,353,341,506,भादवि	खुल्दाबाद	प्रयागराज
10	मु0अ0सं0-828/91	धारा 384, 504, 506, 323, 34 भादवि	खुल्दाबाद	प्रयागराज
11	मु0अ0सं0-04/1992	धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट	खुल्दाबाद	प्रयागराज
12	मु0अ0सं0-207/94	धारा 302, 120बी भादवि	खुल्दाबाद	प्रयागराज
13	मु0अ0सं0-255/97	धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट	खुल्दाबाद	प्रयागराज
14	मु0अ0सं0-251/99	धारा 188 भादवि	खुल्दाबाद	प्रयागराज
15	मु0अ0सं0-251/02	धारा-147,148,149,307,302,304,506,34,120बी भादवि	खुल्दाबाद	प्रयागराज
16	मु0अ0सं0-25/03	धारा 342,504,506,384,447,448 भादवि 2/3 गैगेस्टर एक्ट	खुल्दाबाद	प्रयागराज
17	मु0अ0सं0-136/03	धारा 302,120बी भा0द0वि0	खुल्दाबाद	प्रयागराज
18	मु0अ0सं0-155/03	धारा 25/30 आर्म्स एक्ट	खुल्दाबाद	प्रयागराज
19	मु0अ0सं0-156/03	धारा 25/30 आर्म्स एक्ट	खुल्दाबाद	प्रयागराज
20	मु0अ0सं0-289/07	धारा 3(1) गुण्डा एक्ट	खुल्दाबाद	प्रयागराज
21	मु0अ0सं0-273/11	धारा 25(1ख/(21(1) शस्त्र अधि0	खुल्दाबाद	प्रयागराज
22	मु0अ0सं0-49/17	धारा 110जी सीआरपीसी	खुल्दाबाद	प्रयागराज
23	मु0अ0सं0-51/2020	धारा 3/25/27/25(6) आर्म्स एक्ट	खुल्दाबाद	प्रयागराज
24	मु0अ0सं0-52/2020	धारा 3/25/27/25(6) आर्म्स एक्ट	खुल्दाबाद	प्रयागराज
25	मु0अ0सं0-11/2001	धारा 302,307,34,120 बी भादवि 7 सीएलए एक्ट	करैली	प्रयागराज
26	मु0अ0सं0-156/02	धारा147,148,149,307,504,506,387,120बी भादवि	करैली	प्रयागराज
27	मु0अ0सं0-262/03	धारा452,323,504,506 भादवि	करैली	प्रयागराज
28	मु0अ0सं0-139/07	धारा 147,148,149,341,342,364,504,506,34, 394 भादवि 7 सीएलए एक्ट	करैली	प्रयागराज
29	मु0अ0सं0-567/17	धारा 386,448,427,323,504 भादवि	करैली	प्रयागराज
30	मु0अ0सं0-732/21	147,148,149,323,504,506,307,308,386,427 भादवि	करैली	प्रयागराज
31	मु0अ0सं0-274/22	धारा 147,148,149,323,307,386,120बी भादवि	करैली	प्रयागराज
32	मु0अ0सं0-209/02	धारा147,148,149,336,427,506,120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट	कोतवाली	प्रयागराज
33	मु0अ0सं0-257/02	धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट	कोतवाली	प्रयागराज
34	मु0अ0सं0-27/01	धारा 147,148,149,352,386,504,506,323,365 भादवि व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट व/2/3 गैंगेस्टर एक्ट	शाहगंज	प्रयागराज
35	मु0अ0सं0-96/02	धारा 147,148,149,120बी,307,286,511,427 भादवि एवं 7 सीएलए एक्ट व 2/3/4 लो0स0क्ष0नि0 अधि0	शाहगंज	प्रयागराज

36	मु0अ0सं0-171/90	धारा 353,504,506 भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
37	मु0अ0सं0-05/1992	धारा 30 आर्म्स एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
38	मु0अ0सं0-91/01	धारा 147,148,149,386,504,506,384,448,427, 482,352,34 भादवि, 7 सीएलए एक्ट व 2/3 गैंगे0 एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
39	मु0अ0सं0-95/01	धारा 30 आर्म्स एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
40	मु0अ0सं0-186/01	धारा147,148,149,307,504,120बी भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
41	मु0अ0सं0-253/02	धारा147,148,149,142,330,304,506 भादवि व 2/3 गैंगेस्टर एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
42	मु0अ0सं0-257/02	धारा एनएसए दिनांक 10.06.2002	धूमनगंज	प्रयागराज
43	मु0अ0सं0-311/02	धारा 467,468,471,420,406,384,387,120बी भादवि 2/3 गैंगेस्टर एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
44	मु0अ0सं0-321/02	धारा 147,148,149,307,153,336,332,427,120बी भादवि व 2/3/4 लो0सं0नि0 अधि0	धूमनगंज	प्रयागराज
45	मु0अ0सं0-34/03	धारा 147,148,149,307,504,34,120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
46	मु0अ0सं0-314/03	धारा 3(2)एनएसए	धूमनगंज	प्रयागराज
47	मु0अ0सं0-34/05	धारा 147,148,149,307,302,120बी,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
48	मु0अ0सं0-270/07	धारा147,148,149,342,341,364,504, 506,34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
49	मु0अ0सं0-287/07	धारा147,148,149,341,342,364,504, 506,34,452भादवि 7 सीएलए एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
50	मु0अ0सं0-288/07	धारा 147,148,149,341,342,364,504,506,34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
51	मु0अ0सं0-356/07	धारा 447,448,451,427 भा0द0वि0	धूमनगंज	प्रयागराज
52	मु0अ0सं0-368/07	धारा 174क भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
53	मु0अ0सं0-419/07	धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
54	मु0अ0सं0-112/09	धारा 364,504,506,194,195ए,120बी भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
55	मु0अ0सं0-634/15	धारा 147,148,149,302,504,120बी भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
56	मु0अ0सं0-135/16	धारा 147/148/149/307/506/120बी भादवि व 3/25 शस्त्र अधि0	धूमनगंज	प्रयागराज
57	मु0अ0सं0-392/16	धारा 147/148/149/302/120बी भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
58	मु0अ0सं0-833/17	धारा 147,148,149,447,448,341,323,504, 506,34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट/	धूमनगंज	प्रयागराज
59	मु0अ0सं0-1244/17	धारा 386,342,506 भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
60	मु0अ0सं0-1276/17	धारा 386,504,506 भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज

61	मु0अ0सं0-1545/17	धारा 448,419,420,467,506,120बी भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
62	मु0अ0सं0-09/2018	धारा 504,506,120बी भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
63	मु0अ0सं0-22/18	धारा 147,342,386,447,506,406,120बी भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
64	मु0अ0सं0-736/18	धारा 147,148,419,420,448,447,504,386,120बी भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
65	मु0अ0सं0-1500/18	धारा 147,504,506 भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
66	मु0अ0सं0-30/19	धारा 147,148,149,323,504,506,394,342,120बी,364 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
67	मु0अ0सं0-200/2020	धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
68	मु0अ0सं0-377/2020	धारा 143,195ए,504,506,120बी भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
69	मु0अ0सं0-689/2020	धारा 386,352,323,504,506,120बी भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
70	मु0अ0सं0-307/22	धारा 447/448 भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
71	मु0अ0सं0-582/22	धारा 147,148,504,506, बढोत्तरी धारा 120बी, 386 भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
72	मु0अ0सं0-114/23	धारा-147,148,149,302,307,506,34,120बी भादवि, 3 विस्फोटक पदार्थ अधि0 व 7 सीएलए एक्ट	धूमनगंज	प्रयागराज
73	मु0अ0सं0-181/23	धारा-147,148,149,307,386,286,504,506,120बी भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
74	मु0अ0सं0-188/23	3/25/27/35 शस्त्र अधिनियम	धूमनगंज	प्रयागराज
75	मु0अ0सं0-63/83	धारा 332,353 भादवि	सि0ला0	प्रयागराज
76	मु0अ0सं0-150/85	धारा 342, 323, भादवि	सि0ला0	प्रयागराज
77	मु0अ0सं0-89/01	धारा 395, 397, 448, 387 भादवि, 7 सीएलए एक्ट व 2/3 गैगेस्टर एक्ट	सि0ला0	प्रयागराज
78	मु0अ0सं0-41/96	धारा 302, 120बी, 218 भादवि	सि0ला0	प्रयागराज
79	मु0अ0सं0-24/99	धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 311, 342, 452, 384, 427भादवि	सि0ला0	प्रयागराज
80	मु0अ0सं0-263/02	धारा 147, 336, 427, भादवि, 7 सीएलए एक्ट व 3 लो0सं0क्ष0 नि0 अधि0	सि0ला0	प्रयागराज
81	मु0अ0सं0-264/02	धारा 147, 427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	सि0ला0	प्रयागराज
82	मु0अ0सं0-265/02	धारा 336, 427भादवि व 7 सीएलए एक्ट	सि0ला0	प्रयागराज
83	मु0अ0सं0-267/02	धारा147, 336, 427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	सि0ला0	प्रयागराज
84	मु0अ0सं0-323/07	धारा147,148,149,448,323,386,427,504,342,420 भादवि	सि0ला0	प्रयागराज

85	मु0अ0सं0-222/22	धारा 147,149,504,506,307,427,120बी भादवि	पूरामुफ्ती	प्रयागराज
86	मु0अ0सं0-06/1992	धारा 147,148,149,364,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	मुट्ठीगंज	प्रयागराज
87	मु0अ0सं0-189/07	धारा 364,323,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	कीडगंज	प्रयागराज
88	मु0अ0सं0-259/95	धारा 302, 353, 332, 307,201 भादवि	कर्नलगंज	प्रयागराज
89	मु0अ0सं0-1096/99	धारा 504, 506, भादवि	कर्नलगंज	प्रयागराज
90	मु0अ0सं0-372/02	धारा 302, 120 बी भादवि	कर्नलगंज	प्रयागराज
91	मु0अ0सं0-420/02	धारा 307 भादवि	कर्नलगंज	प्रयागराज
92	मु0अ0सं0-603/09	धारा 193,419,420,467,471,506 भादवि	कर्नलगंज	प्रयागराज
93	मु0अ0सं0-164/10	धारा 419,420,467,468,471,506	कर्नलगंज	प्रयागराज
94	मु0अ0सं0-489/17	धारा 323,504,506,147, भादवि	कर्नलगंज	प्रयागराज
95	मु0अ0सं0-537/17	धारा 147,148,149,341,323,504, 506, भादवि	कर्नलगंज	प्रयागराज
96	मु0अ0सं0-207/02	धारा147,148,452,504, 506 भादवि, 2/3/4 लो0सं0अधि0 व 7 सीएलए एक्ट	जार्जटाउन	प्रयागराज
97	मु0अ0सं0-1117/16	धारा147/148/149/395/323/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	नैनी	प्रयागराज
98	मु0अ0सं0-425/95	धारा 147, 148, 149, 342, 365, 368, 387, 427, 452, 506, 34 भादवि 3(1)10एससीएसटी एक्ट	हजरतगंज	लखनऊ
99	मु0अ0सं0-52/81	धारा 147,148,149,302 भादवि	बरमों	बोकारो झारखण्ड
100	मु0अ0सं0-62/07	धारा 395,397,384 भादवि	बरगढ़	चित्रकूट
101	मु0अ0सं0-189/91	धारा 302,201,364 भादवि	पिपरी	कौशाम्बी
102	मु0अ0सं0-810/18	धारा 147,149,386,329,420,467,468,471,394, 506,120बी भादवि	कृष्णा नगर	लखनऊ

दिनांक 28.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 404/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कौशाम्बी/थाना सराय अकिल

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक को थाना सराय अकिल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अतरसुईया नहर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—गुलशन कुमार सहित अभियुक्त 2—विकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गुलशन कुमार शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सराय अकिल पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सराय अकिल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

इस सम्बन्ध में थाना सराय अकिल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुलशन कुमार निवासी कनैली थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी।

2—विकाश निवासी कनैली थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मधुबन बापूधाम

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 13 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 28.07.2026 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हनुमान मन्दिर के पीछे खण्डहर के पास से 02 अभियुक्त 1—अमित कुमार

2–शाहरूख को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 13 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित कुमार निवासी ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

2–शाहरूख निवासी ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–चोरी की 13 दो पहिया वाहन आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा–2

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 28.07.2026 को थाना बीटा–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिटी पार्क नवादा के पास से अभियुक्त साहिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.07.2026 को थाना बीटा–2 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साहिल निवासी मुस्ताक नगर थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।

3–घटना में प्रयुक्त फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 मोटर साइकिल आदि।

- **<u>जनपद इटावा/थाना सिविल लाइन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/120बी/201/364 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–गन्दर्भ उर्फ पप्पू 2–मुकेश कुमार 3–निरोत्तम 4–हरिओम 5–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बरेली/थाना कैण्ट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बरेली द्वारा थाना कैण्ट पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–मोहर 2–भगवत 3–लोकेश 4–राहुल को धारा 307/34/302/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 90–90 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं 5–अभियुक्ता को धारा 307/120/302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गंधर्व को कठोर आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना एत्मादौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना एत्मादौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त फहजान उर्फ फेजान को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना सिंधौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना सिंधौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुकेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना अटरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना अटरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/304/149/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हरिनाम 2–अमित कुमार 3–ललित 4–नरेश 5–जयदर्थ 6–अमरेश को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर बाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376/504 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–विशाल उर्फ माइकल 2–लवकुश उर्फ सुमित को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना पिपरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना पिपरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रूपेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना ओबरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना ओबरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/316 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राम जियावन को 10 वर्ष के कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मऊ/थाना कोतवाली सदर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमित कुमार को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना हरगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना हरगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक उर्फ देशदीपक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————